संख्या-37/2022/1606/2022/77-6-2022-6002(099)/2/2022

प्रेषक,

रजनी कान्त पाण्डेय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

संयुक्त आयुक्त ,
उद्योग,
लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 **लखनऊ: दिनांक: 23 अगस्त, 2022**

विषय:- अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 (मेगा परियाजना) के कार्यान्वयन हेतु रू.47,20,96,327.00 की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पिकप के पत्रांक-पिकप/आई.आई.आई.पी.-2012/मेगा2383 दिनांक 24.06.2022 द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-7 के लेखाशीर्षक-2885-उद्योगो तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय-60-अन्य-800-अन्य व्यय-19-अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 का कार्यान्वयन-27 सब्सिडी में अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012(मेगा परियोजना) के अन्तर्गत पात्र औद्योगिक इकाईयों की स्थापना को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से दी जाने वाली सुविधाओं/रियायतों हेतु धनराशि रू.47,20,96,327.00(रूपये सैंतालिस करोड़ बीस लाख छियान्बे हजार तीन सौ सत्ताईस एवं पैसे शून्य मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है। पिकप द्वारा लाभार्थी इकाईयों का उपलब्ध कराया गया विवरण निम्नवत् है:-

क्र. सं.	**कम्पनी**	**अनुमोदित अनुमन्य धनराशि**	**शासनादेश दिनांक 26-03-2021 के अनुपालन में देय (अनुमन्य धनराशि का 90 प्रतिशत)***	**नोडल एजेन्सी(पिकप) को देय प्रशासनिक व्यय की प्रतिपूर्ति की राशि (देय धनराशि का 1 प्रतिशत)**	**इकाईयों को वितरित की जाने वाली धनराशि**
1	2	3	4	5	6
1	मेसर्स पसवारा	1,52,29,063.00	1,37,06,157.00	1,37,062.00	1,35,69,095.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	पेपर्स लि0				
2	मेसर्स श्री सीमेंट लि0, बुलन्दशहर	39,55,36,273.00	35,59,82,645.00	35,59,826.00	35,24,22,819.00
3	मेसर्स वरूण बेवरेजस लि0	11,37,86,139.00	10,24,07,525.00	10,24,075.00	10,13,83,450.00
	कुल योग	52,45,51,475.00	47,20,96,327.00	47,20,963.00	46,73,75,364.00
	कुल धनराशि (5+6)				**47 ,20,96,327.00**

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-7 के लेखाशीर्षक 2885-उद्योगो तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय-60-अन्य-800-अन्य व्यय-19-अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 का कार्यान्वयन-27 सब्सिडी में प्राविधानित धनराशि रू. 294.41करोड़(रूपये दो सौ चौरान्बे करोड़ इकतालिस लाख मात्र) के सापेक्ष उपरोक्त 03 पात्र औद्योगिक इकाईयों की स्थापना को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से दी जाने वाली सुविधाओं/रियायतों हेतु धनराशि रू.47,20,96,327.00(रूपये सैंतालिस करोड़ बीस लाख छियान्बे हजार तीन सौ सत्ताईस एवं पैसे शून्य मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शतों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत धनराशि को आहरित करके पिकप द्वारा उपलब्ध कराए गए लाभार्थी कम्पनियों एवं पिकप के खाते में सीधे एन0ई0एफ0टी0/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से अन्तरित की जाएगी।
2. स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर किया जाएगा।
3. उपरोक्त तालिका के स्तम्भ-6 में दर्शाई गयी धनराशि उक्त लाभार्थी कंपनियों के बैंक खातों में अन्तरित की जाएगी जिसका विवरण संलग्नक-2 पर है। उक्त स्तम्भ-5 में दर्शाई धनराशि कुल योग रू.47,20,963.00(रूपये सैंतालिस लाख बीस हजार नौ सौ तिरसठ मात्र) पिकप के बैंक खातें(संलग्नक-3) में प्रशासनिक व्यय के रूप में हस्तांतरित की जाएगी।
4. उक्त धनराशि का लेखा-जोखा पिकप द्वारा रखा जाएगा।
5. किसी परिस्थिति में धनराशि को पूर्व में आहरित करके एकमुश्त बैंक खाते/ अन्य किसी खातें में नहीं रखा जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6. स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जाएगा जिसके लिए स्वीकृत किया गया है।
7. स्वीकृत धनराशि को व्यय किए जाने से पूर्व वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07.06.2022 एवं अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
8. धनराशि वितरण के उपरान्त वितरण से सम्बन्धिवत सभी आवश्यक विवरण साक्ष्य सहित संयुक्त /अपर आयुक्त उद्योग, लखनऊ मण्डल लखनऊ द्वारा पिकप को उपलब्ध कराए जायेंगे।
9. उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रबन्ध निदेशक पिकप, द्वारा हस्ताक्षरित कर आयुक्त एवं निदेशक उद्योग के माध्यम से समस्त संबंधितो को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जाएगा।
10. पिकप धनराशि अवमुक्त करने के पूर्व इकाई की पात्रता एवं आकडों की शुद्धता का परीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 47,20,96,327 (रुपये सैंतालीस करोड़ बीस लाख छियानबे हजार तीन सौ सत्ताईस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या** 007 **लेखा शीर्षक** 2885608001900 अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 का कार्यान्वयन **मानक मद** 27 सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या ई-6-53-दस-2022-23, दिनांक 23.08. 2022 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

रजनी कान्त पाण्डेय

अनु सचिव।

संख्या-37/2022/1606/2022/77-6-2022-6002(099)/2/2022, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय उ0प्र0प्रयागराज।
2. महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0 लखनऊ/प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
4. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, कानपुर।
5. अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0शासन।
6. प्रबन्ध निदेशक, पिकप को उनके पत्रांक-पिकप/आई.आई.आई.पी.-2012/मेगा/383दिनांक 24.06.2022 के संदर्भ में अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।
7. निदेशक, वित्तीय सांख्यिककीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/4

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

9. वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
10. नियोजन अनुभाग-1/4
11. औद्योगिक विकास अनुभाग-2
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रजनी कान्त पाण्डेय
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।